महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर स्थल में किया गया आंशिक परिवर्तन

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में रायगढ़ जिले में ग्रामीणजनों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत आगामी दिनों में होने वाले कुछ शिविर के स्थलों में परिवर्तन किया गया है। जिसमें 27 सितम्बर को खरसिया के बर्रा में होने वाले शिविर के स्थान पर अब ग्राम मुरा आयोजित होगा। इसी तरह 29 नवम्बर को घरघोड़ा के बटुराकछार में होने वाले शिविर अब ग्राम-कया में तथा 13 दिसम्बर को लैलूंगा के घटगांव में होने वाले शिविर अब ग्राम-राजपुर में आयोजित होगा।

आंगनबाड़ी में रिक्त सहायिका पद के लिए मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ ग्रामीण अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र चिराईपानी में कार्यरत सहायिका के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत उक्त पद की पूर्ति हेतु आगामी 7 अक्टूबर 2024 तक आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ ग्रामीण में जमा कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

पुलिस जनचौपाल : धरमजयगढ़ पुलिस ने महाविद्यालय के छात्रों को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20/09/2024 को शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय धरमजयगढ़ में थाना प्रभारी द्वारा छात्रों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी कमला पुसाम ठाकुर ने छात्रों को इंटरनेट के उपयोग और उसके दुरुपयोग से होने वाले खतरों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव के तरीके समझाते हुए छात्रों को सतर्क रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पोक्सो एक्ट और अन्य संवेदनशील मामलों पर भी सरल शब्दों में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने छात्रों को विशेष रूप से सचेत किया कि ग्रामीण इलाकों में फेरी वाले, गैस चूल्हा बनाने वाले, और फेस्टिवल सीजन के दौरान सोना-चांदी के जेवर चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। इनसे सतर्क रहने की सलाह दी गई। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाते हुए, दोपहिया वाहनों में तीन सवारी नहीं चलाने, हेलमेट पहनने, और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों के साथ शिक्षकगण और थाना धरमजयगढ़ के स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे।

सारंगढ़ में नशा मुक्ति अभियान रैली आयोजित की गई

सारंगढ़ बिलाईगढ़। समाज कल्याण विभाग की अगुवाई में जनपद पंचायत सारंगढ़ परिसर से नशा मुक्ति अभियान रैली आयोजित की गई। इस रैली में संयुक्त कलेक्टर एस के टंडन, उप संचालक समाज कल्याण विनय तिवारी सहित सारंगढ़ के स्कूल कालेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नशा मुक्ति अभियान का उद्देश्य समाज को नशीली दवाओं और शराब की लत से मुक्त करना है। इस अभियान के तहत, सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को नशीली दवाओं के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने अधिकारियों की बैठक लेकर की जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा

- चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के कलेक्टर गोयल ने दिए निर्देश
- नशीली दवाइयों के अवैध बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के दिए गए निर्देश
- साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान का दायरा बढ़ाने के निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल व लेडिस स्टॉफ की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहते हुए कार्य करने के निर्देश कलेक्टर गोयल ने दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से किसी भी प्रकार की विवाद की सूचना मिलती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले को निराकृत किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो। साथ ही इसकी सूचना तत्काल वहां के एसडीएम व संबंधित अधिकारियों को भी देए जिससे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति न हो।

कलेक्टर गोयल स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुचारू ढंग से हो। यहां किसी भी प्रकार के विधि विरूद्ध गतिविधियों या आचरण की शिकायत पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाए। सभी एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारी स्कूलों से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता से काम करें। इसी प्रकार शासकीय कर्मचारियों के लिए तय की गई सिविल सेवा आचरण अधिनियम का पालन सुनिश्चित हो। किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति न बनें।

कलेक्टर गोयल ने नशीली दवाओं के विरूद्ध पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही जारी रखने के निर्देश उन्होंने दिए। आबकारी विभाग से जुड़े मामलों में कागजी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कहा। जिससे प्रकरण में तेजी से कार्यवाही हो। कलेक्टर गोयल ने बाहर से यहां काम करने आने वाले श्रमिकों तथा किरायेदारों के पुलिस वेरीफिकेशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की जानकारी उद्योगों के माध्यम से संबंधित थानों के संज्ञान में हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इससे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। कलेक्टर गोयल ने ऊंची ईमारतों व अस्पतालों के फायर सेफ्टी के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। साथ ही नये अस्पतालों में बिना फायर सेफ्टी के लाईसेंस नहीं दिए जाने का प्रावधान है जिसका पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर गोयल ने औद्योगिक वाहनों के सड़क पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उडऩ दस्ते व विभागीय टॉस्क फोर्स के माध्यम से जांच कर चालानी कार्यवाही की जा रही है। उद्योगों को नोटिस भी जारी किया गया है। कलेक्टर गोयल ने माईनिंग क्षेत्र में भी खनन व ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाडिय़ों की पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जिले में सामाजिक सौहाद्र्र को लेकर भी विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुए काम करने के लिए कहा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अमले को अपना सूचना तंत्र सक्रिय रखते हुए किसी भी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न होने से पहले उस पर प्रभावी नियंत्रण की बात कही। इसी के साथ ही साईबर सुरक्षा को लेकर भी कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जमीनी स्तर तक सूचनाओं व जानकारियों के प्रवाह के लिए विभागीय समन्वय के साथ सूचना तंत्र बनाने के निर्देश दिए। जिससे लोगों को साईबर क्राईम को लेकर लगातार जागरूक किया जा सके। बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, डीएसपी साईबर क्राईम अभिनव उपाध्याय सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी बैठक में शामिल हुए।

ट्रेलर से डीजल और बैटरी चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 20 लीटर डीजल और 2 बैटरी बरामद

रायगढ़

पुसौर पुलिस ने 14 अगस्त को ग्राम कठली में एक ट्रेलर से डीजल और 02 बैटरी चोरी करने के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार जांच करते हुए मुखबिरों की मदद से चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान की। क्षेत्र में संदिग्धों से पूछताछ और निगरानी के बाद, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 15/09/2024 को रिपोर्टकर्ता गुलशन छत्तर द्वारा थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके ट्रेलर वाहन (क्रमांक CG 13 AV 8050) से 120 लीटर डीजल और 02 बैटरी चोरी हो गई है। घटना 14 अगस्त की शाम की है, जब रिपोर्टकर्ता ने अपना ट्रेलर ग्राम कठली में सड़क किनारे खड़ा कर दिया और खाना खाने के लिए अपने घर ग्राम रनभांठा चला गया। जब वह रात करीब 09 बजे वापस लौटा, तो देखा कि ट्रेलर की बैटरी और डीजल गायब थे। इस पर थाना पुसौर में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 214/2024 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम कठली के नूतन यादव और चंदन निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रेलर से 02 बैटरी और 20 लीटर डीजल चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपियों से 02 बैटरी और 20 लीटर डीजल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में (1) नूतन कुमार यादव पिता स्व. पदम लोचन यादव उम्र 30 वर्ष निवासी पुसौर, और (2) चंदन निषाद पिता स्व. चूडामणी निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी कठली, शामिल हैं। दोनों आरोपियों को आज दिनांक 20/09/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले की जांच में निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, उमाशंकर विश्वाल और आरक्षक ओशनिक विश्वाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्थानीय निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण

- सभी विकासखण्ड और नगरीय निकाय के मास्टर ट्रेनर हुये शामिल

रायगढ़

राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचन द्वारा आगामी दिनों होने वाले नगरीय एवं स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली तैयार के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये 8 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण सृजन सभा कक्ष में आयोजित की गई। ज्ञात हो आगामी दिनों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में चुनाव सम्पन्न होने हैं, जिसके लिये निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सृजन सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा की उपस्थिति में आयोजित की गई। प्रशिक्षण में उपयोग होने वाले प्रपत्र क प्रपत्र क (01), प्रपत्र ख एवं प्रपत्र ग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद प्रपत्र (क) में आमजन अपना नाम जोडऩे जिनका नाम विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची में था, किन्तु अभी प्रकाशित सूची में शामिल नही है वे अपना आवेदन कर सकते है एवं किसी मतदाता को वार्ड अथवा ग्राम पंचायत परिवर्तन करना हो वे भी आवेदन कर सकते है। प्रपत्र क;01द्ध का आवेदन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास नये नाम जोडऩे के लिये आवेदन करना है। प्रपत्र (ख) में मतदाता का नाम, वर्तनी, लिंग, आयु आदि में संशोधन कराना हो वे आवेदन कर सकते है। इसी तरह प्रपत्र (ग) में किसी का नाम मतदाता सूची से विलोपन करने के लिये आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन नगरीय क्षेत्रों में 16 अक्टूबर 2024 एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 24 अक्टूबर 2024 को होगी। आमजन अपने दावा आपत्ति प्राधिकृत कर्मचारी के पास जो मतदान केंद्र में नियत स्थल पर बैठेंगे के पास नगरीय क्षेत्रों में दावा आपत्ति दिनाँक 16 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 अपरान्ह 03 बजे तक एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में दावा आपत्ति 24 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक अपरान्ह 03.00 बजे तक किया जा सकेगा। प्राधिकृत कर्मचारियों की ट्रेनिग विकासखण्डों में आयोजित किये जायेंगे। आज के प्रशिक्षण को प्राचार्य राजेश डेनियल एवं शिक्षक विकास सिन्हा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया।

ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस रायगढ़ का सड़क सुरक्षा अभियान

- कांशीचुआ स्कूल में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों को सिखाया गया सुरक्षित यातायात के नियम
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने पुलिसकर्मियों ने वाहनों पर लगाए पोस्टर, बांटी पॉकेट निर्देशिकाएं

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देश पर रायगढ़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों को दुर्घटनामुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग, एनएच, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, इन क्षेत्रों के समीप रहवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से डीएसपी ट्रैफिक रमेश चन्द्रा के मार्गदर्शन में ब्लैक स्पॉट काशीचुआ क्षेत्र में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कांशीचुआ में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में टीआई यातायात अनुरंजन लकड़ा और प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित यातायात के कुछ बुनियादी नियमों के बारे में जानकारी दी। जिसमें छात्रों को बताया गया कि -

- हमेशा परिजनों के साथ हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करें।
- सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें।
- तेज गति से पालकों को वाहन न चलाने दें।
- सड़क पर चलते समय या गाड़ी चलाते समय वाहन चालक मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- ट्रैफिक लाइट और संकेतों का पालन करें।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले के साथ सफर न करें।

कार्यक्रम में थाना यातायात के निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा, प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान, आरक्षक मनीष मिंज, मोहन भगत, प्रदीप कुर्रे, और संजीत सिदार उपस्थित थे। कार्यक्रम में करीब 350 स्कुली बच्चे के साथ शिक्षक व स्कूल स्टाफ मौजूद थे।

इसके अलावा, यातायात पुलिस ने ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से प्राप्त यातायात जागरूकता सामग्री जैसे- बैनर पोस्टर, स्टीकर वाहनों पर चस्पा किए और वाहन चालकों को पॉकेट फोल्डर निर्देशिकाएं वितरित कीं। इस दौरान वाहन चालकों को तेज गति से वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाया गया। यह जागरूकता अभियान रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों का हिस्सा है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

अवैध शराब पर जूटमिल पुलिस की कार्यवाई जारी : पुलिस ने स्कूटी पर शराब तस्करी करते युवक को किया गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अवैध शराब पर कार्रवाई जारी है। कल थाना जूटमिल पुलिस द्वारा शराब रेड कार्रवाई के तहत अवैध शराब तस्करी में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को झोपड़ीपारा गली दुर्गा चौक पर शराब तस्करी करते हुए युवक को पकड़ा। आरोपी विशाल सारथी पिता ध्रुव कुमार सारथी, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम धनागर, स्कूटी एक्टिवा (क्रमांक CG-13-AZ-3103) में 57 पाव देशी प्लेन मदिरा परिवहन कर रहा था।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार, विशाल सारथी अवैध शराब की बिक्री के लिए झोपड़ीपारा से होते हुए धनागर जा रहा था। आरोपी के पास मिले बैग की तलाशी लेने पर 57 पाव देशी शराब बरामद हुई, जिसे वह अवैध रूप से बिक्री करने जा रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना जूटमिल में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर, अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त कर लिया गया है। इस शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ और आरक्षक शशिभूषण साहू शामिल रहे। जूटमिल पुलिस की अवैध शराब तस्करों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

आयोग की समझाईश पर एकमुश्त 3 लाख रुपये भरण-पोषण के एवज में आपसी रजामंदी से तलाक तय

- आयोग के दखल के बाद आवेदिका को 7 वर्ष बाद मिला नर्सिंग का सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन नंबर
- धार्मिक विवाद प्रकरण को न्यायालय जाने की सलाह पर प्रकरण किया गया नस्तीबद्ध

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक आज जिला पंचायत सभाकक्ष, रायगढ़ में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 281 वीं एवं रायगढ़ जिले में आठवीं सुनवाई हुई। आज मौके पर 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच 5 वर्षो से न्यायालय में लंबित है, जिसमें आवेदिका का बेटा स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में अनावेदक की बेटी को प्रतिमाह 3 हजार रुपये भरण-पोषण हेतु दिया जा रहा है। आयोग द्वारा समझाईश दिए जाने पर दोनों पक्ष सुलह हेतु तैयार है व आवेदिका के बेटे द्वारा एक मुश्त 3 लाख रुपये देने हेतु सहमत है और दहेज सामान को वापस करने के लिए तैयार है। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में अनावेदक द्वारा उसकी नर्सिंग कोर्स की सर्टिफिकेट एवं रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा था। जिसमें आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए सुनवाई के दौरान नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति लेकर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अनावेदक द्वारा कालेज के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के हाथ नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति लेकर उपस्थित हुए। जिसकी फोटोकापी अभिलेख में रखी गई है। आवेदक को 7 वर्ष बाद छ.ग.महिला आयोग के हस्तक्षेप उपरांत अनावेदक पक्ष को शपथ पत्र लेकर रायपुर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया। एक अन्य मामले में धर्मस्थल पर बाधा उत्पन्न एवं छेड़छाड़ की शिकायत का प्रकरण आया। जिसमें आवेदिका द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र भेजा गया लेकिन मामले में मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। वर्तमान में आवेदिका द्वारा प्रकरण न्यायालय में लगाया गया है। चूंकि प्रकरण न्यायालय में दर्ज होने के कारण आयोग द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और नस्तीबद्ध किया गया।

एक प्रकरण में उपस्थित दोनों पक्षों के मध्य संरक्षण अधिकारी द्वारा सुलह कराकर आयोग में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों के बीच वर्तमान में कोई विवाद नहीं है और वे प्रकरण समाप्त करना चाहते है। जिसकी वजह से आयोग द्वारा प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका पूर्व में अनावेदक पक्ष के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें समझौता हो चुका था। लेकिन पुन: विवाद होने के कारण आवेदिका ने फिर से शिकायत दर्ज करायी। मौके पर आयोग की समझाईश पर अनावेदक पक्ष द्वारा दोबारा विवाद नहीं करते हुए आयोग के समक्ष माफी मांगा गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध संपत्ति विवाद का मामला न्यायालय में दर्ज कराया है। अनावेदकगण द्वारा आवेदिका के विरूद्ध सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया गया है। अनावेदकगण का सितम्बर 2023 तक आवेदिका के घर आना-जाना था, परंतु आवेदिका द्वारा संपत्ति विवाद की शिकायत लगातार अनावेदक पक्ष पर किया जा रहा है।

आयोग द्वारा दस्तावेज देखने के उपरांत मामला राजस्व न्यायालय व हाई कोर्ट में होने के उपरांत आयोग द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर साईबर सेल में शिकायत करने की सलाह देते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसी तरह अन्य प्रकरण में आयोग की समझाईश पर आपसी राजीनामा से तलाक लेने के पूर्व एक मुश्त भरण-पोषण पर चर्चा की गई और तलाक लेने की बात कही गई। जिसके पश्चात प्रकरण आयोग में स्थानांतरण किया गया। इसी तरह कुछ अन्य प्रकरणों पर उभयपक्ष की अनुपस्थिति एवं आयोग की समझाईश पश्चात राजीनामा होने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480